न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 27/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री राकेश यादव पुत्र रामसिंह यादव

निवासी बडी नागफणी, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री राकेश यादव अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 09.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.1.2025 को जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के तहत जांच दल रतन कौर जिला रसद अधिकारी (प्रथम), नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर आनासागर चौकी के पीछे भट्टे वाली गली पहुँचे। मौके पर जहीरूदीन पुत्र कुतुबुद्दीन के मकान भट्टे वाली गली, आनासागर चौकी, अजमेर में एक घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर और 01 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, लोहे का रेग्यूलेटर भण्डारित पाया । मौके पर राकेश यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव निवासी नागफणी अजमेर ने बताया कि यह मेरे सिलेण्डर है। राकेश यादव द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए अथवा ना ही सिलैण्डर एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया । अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1)(2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह प्रतिनिधि, एस.के. होम एपलायसेंज गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	453265 एस	indan	16.0	30.2	14.2
2	43634	BPCL	18.6	18.6	0

जिला

दोनो गैस सिलेण्डरो को मय इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन को श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह प्रतिनिधि, एस.के.एम होम एपलायसेंज गैस एजेन्सी, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय पाईप, लोहे का रेग्यूलेटर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नही थी। प्रार्थी अब भविष्य में इस घटना को दुबारा अंजाम नही देगा । अज्ञानता व शिक्षा के अभाव में किये गए कृत्य को क्षमा कर अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज प्रकरण निरस्त फरमावे।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 29.01.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर और 01 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप लोहे का रेग्यूलेटर भण्डारित पाया । मौके पर राकेश यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव निवासी नागफणी अजमेर ने बताया कि यह मेरे सिलेण्डर है। राकेश यादव द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलैण्डर एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया । अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1)(2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय पाईप, लोहे का रेग्यूलेटर को राजसात फरमावें ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 29.01.2025 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय पाईप, लोहे का रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। 01 इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय पाईप, लोहे का नियमानुसार निस्तारण करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर